

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3814
उत्तर देने की तारीख-16/03/2026

केंद्रीय विश्वविद्यालयों/आईआईटी में आरक्षित रिक्त पदों के लिए भर्ती

†3814. कु. सुधा आर.:

श्री ए. राजा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची सहित वर्ष 2020 से प्रत्येक वर्ष आवंटित और जारी की गई धनराशि का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) में आरक्षित श्रेणियों के लिए केवल कुछ ही संकाय सदस्यों की भर्ती की गई है, जबकि कई शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं, यदि हां, तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में अगड़ी समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के सदस्यों की संख्या सहित कुल शिक्षण और गैर-शिक्षण संकाय पदों और रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि आईआईटी ने आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए आरक्षित श्रेणियों से केवल कुछ ही संकाय सदस्यों की भर्ती की है, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं, यदि हां, तो आरक्षित श्रेणियों सहित रिक्त और भरे हुए संकाय पदों की संस्थावार स्थिति क्या है;
- (घ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों/आईआईटी में सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों की रिक्त पदों पर भर्ती कम होने के क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार के पास आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी रिक्त पदों, विशेष रूप से आरक्षित श्रेणियों के पदों को, भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी भर्ती के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालय नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। यह सूची अनुलग्नक-अ के रूप में संलग्न है। वर्ष 2020 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
धनराशि (₹ लाख में)	863908.44	895344.58	1128854.50	1254642.58	1605881.12

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) संसद के संबंधित अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेश/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत् प्रक्रिया है। ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण का प्रावधान है। यह अधिनियम अलग-अलग विभागों के बजाय विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को आरक्षण के उद्देश्य से एक इकाई के रूप में मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण के संबंध में कठिनाई को दूर करता है। इसके अलावा, इस अधिनियम द्वारा वर्ष 2019 से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान किया गया था। पहले ओबीसी को आरक्षण केवल सहायक प्रोफेसर स्तर पर था। किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को केवल उस विशेष श्रेणी के पात्र व्यक्तियों द्वारा ही भरा जा सकता है; किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित किसी भी रिक्त पद को भर्ती के अगले चक्र (चक्रों) में उस विशेष आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग रिक्तियों के रूप में पुनर्विज्ञापित किया जाएगा जब तक कि उन्हें भरा नहीं जाता है।

इसके अलावा, यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए दिनांक 02.05.2023 को एक एकीकृत भर्ती पोर्टल अर्थात् सीयू-चयन का शुभारंभ किया। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को यह भी अनुदेश दिया गया है कि वे पात्र अभ्यर्थियों के चयन में आ रही कठिनाइयों का समाधान करने के लिए पूरे वर्ष अपनी वेबसाइटों पर चल विज्ञापन प्रकाशित करें। इसके अलावा, सहायक प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्य शर्त में भी छूट दी गई है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संकाय भर्ती के लिए चल विज्ञापन भी जारी करते हैं, जो उन सभी उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष खुले रहते हैं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संकाय पदों के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए संकाय पदों पर फ्लेक्सी कैडर प्रणाली का पालन करते हैं, और संकाय की संख्या को स्तरों या विभागों में विभाजित नहीं करते हैं, इसलिए प्रतिभा को पहचानने और भर्ती करने के लिए लचीलापन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए हैं।

शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी करते हैं और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से रिक्तियों को भरने का निदेश दिया गया है। इसके अलावा, सितंबर 2022 में शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से, वित्तपोषित उच्चतर शिक्षण संस्थानों (सीएफएचईआई) में 3692 अनुसूचित जाति के पदों, 1561 अनुसूचित जनजाति के पदों और 6451 ओबीसी पदों सहित 30715 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को भरा गया है।
